

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बांसवाडा (राज.)
क्रमांक:- ख.अ./बांस/स्टोर/नीलामी/2023/ 1

दिनांक ५ - १ - २०२३

नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा अनाधिकृत खनन निर्गमन की चैकिंग के दौरान एमएमडीआर एक्ट 1957 के तहत गांव वाकावाडा व कुवालिया तहसील अरथूना के क्षेत्र के आस-पास जब्त सरकार खनिज बजरी लगभग 1106 टन अनुमानित है, को जहां है, जैसा है बेचान किये जाने हेतु बन्द नीलामी विज्ञप्ति निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्रं. सं.	स्थान नाम जहां जब्तशुदा खनिज बजरी पड़ी हुई है	खनिज बजरी की अनुमानित मात्रा	न्यूनतम राशि	निविदा	अमानत राशि रु. में	नीलामी प्रारम्भ की दिनांक व समय	नीलामी का स्थान
1.	श्री प्रेमजी पाटीदार पुत्र श्री कल्याणी पाटीदार निवासी वाकावाडा तहसील गढ़ी के कब्जे में। (पुलिस थाना गढ़ी के क्षेत्राधिकार में)	लगभग 278.25 टन	125220/- रुपये	12530 रुपये	23.01.2023 प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक	कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग बांसवाडा	
2	ग्राम मोटी बस्सी (ग्राम पंचायत) अ. N23.31'28" द E74.02'29" अ. N23.31'32" द E74.01'54" (पुलिस थाना अरथूना के क्षेत्राधिकार में) ग्राम कुवालिया (ग्राम पंचायत) अ. N23.32'51" द E74.02'29" (पुलिस थाना अरथूना के क्षेत्राधिकार में)	740 90	373500/-	37350 रुपये			
	योग	1106					

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेंगी -

- निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से थाना क्षेत्र का नाम जहां बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएं कार्यालय खनि अभियन्ता, बांसवाडा, पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 23 जनवरी, 2023 (सायंकाल 4:00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कार्यालय खनि अभियन्ता बांसवाडा के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग-अलग थाना परिसर/पुलिस चौकी की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी अलग-अलग ही संलग्न करने होंगे।
- निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
- जब्तशुदा बजरी की गुणवता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में 1. संबंधित थानाधिकारी क्षेत्र पुलिस थाना गढ़ी के गांव वाकावाडा में 2. पुलिस थाना अरथूना के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में गांव मोटा बस्सी (ग्राम पंचायत) व कुवालिया (ग्राम पंचायत) में किया जा सकता है।
- जब्तशुदा बजरी पुलिस थाना गढ़ी के क्षेत्राधिकार क्षेत्र के गांव वाकावाडा में एवं पुलिस थाना अरथूना के गांव मोटा बस्सी (ग्राम पंचायत) एवं ग्राम कुवालिया में जहां है उसी स्थिति में सफलतम बोलीदाता निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
- प्राप्त निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2023 को सायंकाल 5.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता बांसवाडा में खोली जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जायेगा। आदेश प्राप्ति के 03 कार्यदिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से 05 एवं अधिकतम 06 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी, अन्यथा जमा राशि जमा करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।

7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठानेकी कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यानामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निर्देशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा जीएसटी/टेक्स अतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को रवीकार/अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय करने निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियन्ता बांसवाड़ा द्वारा वाहन के बनज क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. सफलतम बोलीदाता को परिवहन हेतु अवधि 05 दिवस सहित अधिकतम 06 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सर्तकता) को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलामी की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की बजन पर्ची, क्षेत्र के संबंधित उपर अंकित को WhatsApp
17. App पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
18. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारन/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी सिक सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।
19. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहन को फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रयुक्त की जायेगी।
20. प्रत्येक स्टॉक को नियम समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
21. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
22. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
23. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

३००६

(शान्तिलाल अहारी)

खनि अभियन्ता बांसवाड़ा

दिनांक ०५-१-२०२३

क्रमांक:- ख.अ./बांस/स्टोर/नीलामी/2023/२-९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रशित है -

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जिला बांसवाड़ा।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षण महोदय, जिला बांसवाड़ा।
3. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
4. नोडल अधिकारी डीएमजीओएमएस निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) महोदय, उदयपुर-जोन उदयपुर।
6. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता महोदय, उदयपुर-वृत, उदयपुर।
7. श्रीमान सहायक निदेशक महोदय, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय बांसवाड़ा।
8. सहायक लेखाधिकारी गा, कार्यालय हाजा।
9. नोटिस नोट कार्यालय।

३००७

खनि अभियन्ता

बांसवाड़ा।